[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CORORATE AFFARIS

New Delhi, dated the 17th March, 2011

NOTIFICATION

S.O. – In exercise of the powers conferred sub-section (1) of section 620 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India erstwhile Ministry of Law and Justice and Company Affairs (Department of Company Affairs) number, SRO 355, dated the 7th January, 1957, namely :-

- 1. In the said notification, in paragraph (2), sub-paragraph (i) shall be omitted.
- 2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India vide number SRO 355, dated the 7th January, 1957 and was last amended vide notification number GSR No. 236, dated 31-1-1978.

[F. No. 9 /1 /2011-C.L-V]

(Renuka Kumar) Joint Secretary to the Government of India

OLC

[भारत के राजपत्र के असाधारण, भाग-11, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक: १७ मार्च, 2011

अधिसूचना

सा.आ.- कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पूर्व विधि न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय (कंपनी कार्य विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना संख्या, एसआरओ 355, दिनांक 7 जनवरी, 1957 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, नामश:

- 1. उक्त अधिसूचना में, पैरा (2) में, उप-पैरा (i) लुप्त हो जाएगा।
- 2. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

नोट: प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्या एसआरओ 355, दिनांक 7 जनवरी, 1957 के द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 236, दिनांक 31.01.1978 के द्वारा किया गया था।

[फा.सं. 9/1/2011-सीएल-V]